

11
9/3/14
2/40
3/3

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

09-अररिया

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - 1

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

श्री 09-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम प्रदीप कुमार सिंह पिता/पुत्र/पत्नी का नाम श्व० रामभाल सिंह

इनका ठाक पता ओम नगर लाईन 0-08, पोठ+धाना+जिला-अररिया

इनका नाम 09-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 49-अररिया (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 128 में क्रम

संख्या 03 (संबन्धित सूची) पर प्रविष्टि है।

मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा है जो 09-अररिया संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 49 अररिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की

निर्वाचक नामावली के भाग 130 में क्रम संख्या 276 पर प्रविष्टि है।

दिनांक 31/03/2014

संजय कुमार मिश्रा
प्रस्तावक के हस्ताक्षर

भाग - II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद् द्वाराX.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अर्थी का नामX..... पिता/भाता/पति का नामX.....

.....X..... उसका डाक पताX.....

उसका नामX..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्रX.....

(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं.X..... में क्रम

संख्याX..... पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपद्विष्ट है और हम इस नाम निर्दिष्टन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

भाग III - क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

वया अभ्यर्थी -

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या (ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है; या
- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।
- यदि उत्तर 'हाँ' है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

/नहीं

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं.: X
- (ii) पुलिस स्टेशन X जिला (जिले) X राज्य X
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था X
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) X
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था X
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा/या जुर्माने की राशि उपदर्शित.....
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) X
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपील) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थी
- (ix) अपील (अपील) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया X
- (xi) क्या उक्त अपील (अपील)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे/वह अभी लंबित हैं X
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) X
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) X

दिनांक 31/03/2014

स्थान अररिया

4674 गुमा/वि

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

में भाग I/भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ तथा एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 48 (अठ्ठासठ) वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है.

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें.

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में X दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) X (ii) X (iii) X

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी देवनागरी (हिन्दी) में (भाषा का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं X जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो X राज्य के उस

उस राज्य में के X (क्षेत्र) X से संबंधित अनुसूचित X

जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

दिनांक 31/03/2014

46/4 गुमा/16/14

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

* * यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

* * * यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप के मामले में लागू नहीं होगा


टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 01 (one) यह नाम निर्देशन पत्र गुडो मेरे कार्यालय में
31.03.2014 (तारीख) को 2.40 P.M. बजे को अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

दिनांक 31.03.2014
जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।


रिटर्निंग ऑफिसर
सहायक निर्वाची पदाधिकारी
09-अररिया संसदीय क्षेत्र

भाग - V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिष्पद्य
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिष्पद्य करता हूँ :-

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण)

प्ररूप-26
(नियम 4 क देखिए)



09 (नौ) अररिया संसदीय क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र



भाग- क

मैं प्रदीप कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व० राम लाल सिंह . आयु. 48 वर्ष, जो ओम नगर, वार्ड नं० 08, पो०+था०+जिला - अररिया पिन नं०- 854311 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ-

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 49 अररिया विधान सभा राज्य, बिहार में (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 128 के क्रम सं० 3 सशोधन सूची पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 09013180185 है/ हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)

शून्य X है एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है X शून्य



प्रदीप कुमार सिंह

Case

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्योरे और आय- कर विवरणी फाईल करने के प्रस्थिति

क्र०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आर्य (रूपए में)
1.	स्वयं	BDXPS5639A	2013-2014	611150.00
2.	पति या पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं
3.	आश्रित-1	नहीं	नहीं	नहीं
4.	आश्रित-2	नहीं	नहीं	नहीं
5.	आश्रित-3	नहीं	नहीं	नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी:-

(I) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/ राज्य के पूर्ण ब्योरे	1. अररिया थाना काण्ड सं० 52/99 थाना अररिया जिला अररिया (बिहार) 2. अररिया थाना काण्ड संख्या-404/01 थाना अररिया जिला अररिया (बिहार)
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	1. 147,148,149,341,323,353,भा०द०वि० नाजायज मजमा बना कर सामान्य उद्देश्य से घातक हथयोरों से लैस होकर वादी को घेर कर मार-पीट करना एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना. 2. 341,342,506,353,504,/34 भा०द०वि० अन्य अभियुक्तों के साथ एक मत होकर वादी को घेर कर गाली गलोज करना भयभीत करना एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	1. मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी, अररिया अररिया थाना काण्ड संख्या 52/99 जी०आर० 216/99 संज्ञान तिथि 09.08.1999 2. मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी अररिया थाना काण्ड संख्या 404/2001 जी० आर० नं०



परीक्षक

		1646/2001 संज्ञान तिथि 21.01.2002
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	1. श्री संजय कुमार संजय, न्या0द0अररिया 2. श्री रामेश्वर मिश्रा, न्या0द0अररिया
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	1. तारीख - 09.01.2013 2. तारीख - 23.12.2010
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

46/2013



2/13

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न }:-

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/ राज्य के पूर्ण ब्यौरे	<p>1. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अररिया जोकीहाट थाना, काण्ड संख्या 11/2004 संज्ञान तिथि - 22.02.2010</p> <p>2. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अररिया, कुर्साकांटा थाना, काण्ड संख्या 38/2001 संज्ञान तिथि - 13.09.2011</p>
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	<p>1. जी0आर0 नं0- 215/2004(जोकीहाट थाना काण्ड संख्या 11/2004) धारा -147, 148,341,323,504,भा0द0वि0 नाजायज मजमा बनाकर घातक हथियार से लैस होकर वादी को घेर कर गाली-गलोज एवं मार-पीट करना</p> <p>2 जी0आर0 नं0- 879/2001(कुर्साकांटा थाना काण्ड संख्या 38/2001) धारा - 147,148,149,323,307, 427, 353,188,337,338,भा0द0वि0 27 आर्म्स एक्ट एवं 3 सम्पत्ति विरुपन अधिनियम नाजायज मजमा बनाकर अग्नेयास्त्र एवं घातक हथियार से लैस होकर समान उद्देश्य से निषेधाज्ञा का उलंघन कर सरकारी कार्यालय में तोड़-फोड़ कर सम्पत्ति विरुपित व क्षतिग्रस्त करना तथा हत्या के उद्देश्य मार-पीट करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालना</p>
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के	नहीं



प्रतिपक्ष कृष्ण कुमार

(Handwritten mark)

लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/ आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	नहीं
---	------

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावस का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।-

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावस का दंडादेश दिया गया है।

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारारें), और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हां, तो अपील के ब्यौ और वर्तमान प्रस्थिति।	नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ अ: जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/ विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/ शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।



पति गुणबीर

Handwritten signature

क्र०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	एक लाख	पाँच हजार	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा ब्याँरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	एस०बी०आई० ए०डी०बी०अररिया खाता संख्या - 01190007218 रकम- 750.00 एस०बी०आई० बी०भी०एम० पटना खाता संख्या - 10839464397 रकम- 1583.00 एस०बी०आई० नई दिल्ली साउथ एभेन्यू खाता संख्या - 30831995702 रकम-एक लाख ग्यारह हजार बी०ओ०आई० अररिया खाता संख्या - 584810110006697 रकम-एक हजार	पी०एन०बी० शाखापटना खाता संख्या 2968000101007497 रकम 4146.00	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(iii)	कम्पनियों / पारस्परिक निधियों और बन्ध में बंधपत्रों, डिबेचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के बलौरे और रकम	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पोलिसियों में विनिधान के ब्याँरे और	बीमा पालिसी, भारतीय जीवन बीमा निगम पो० सं०- 525315120 बिमित राशि 10 लाख	बीमा पालिसी, भारतीय जीवन बीमा निगम पो० सं०- 526529314 बिमित राशि 5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य



प्रदीप कुमार सिंह

cash

	डाक घर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम			शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	X	X	X	X	X
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान / वाययान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटर साईकिल बुलेट एक रजि0 नं0- बी0आर0-38 / 3448 वर्ष 1996 रकम 25 हजार सफारी डेकोर गाड़ी रजि0 नं0- बी0आर01ए0पी0 / 3518 वर्ष 2006 रकम 10 लाख	X	X	X	X
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्योरे)	सोना 5 ग्राम रकम 18 हजार	सोना 30 ग्राम रकम एक लाख	X	X	X
				शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि जमीनों / हित के मूल्य समग्र कुल	X	X	X	X	X
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2257333 रु0मात्र	609146 रु0 मात्र	X शून्य	X शून्य	X शून्य



प्रति 10/11/20

10/11/20

मूल्य					
-------	--	--	--	--	--

आ. स्थवर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षक संख्यांक (संख्याएँ)	मौजा- सौरगाँव खाता- 328,231,329	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल पाम)	0.28डी0	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्या विरसत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां पैतृक	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की दशा में)	X	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	X	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25 हजार	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	मौजा बंसन्तपुर खाता-2438	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल पाम)	रकबा 0.4डी0 1800वर्गफु0 अनुमानित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरसत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	28.04.1998	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत क्रय की दशा में	12000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	चार लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियाँ)) सर्वेक्षण	X	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य



4/6/18

Handwritten mark or signature.

	संख्यांक (संख्याएँ)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की दशा में	नहीं	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(iv)	आवसीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित): स्वस्थिति (अवस्थितियां) सवेक्षण संख्यांक (सांख्याएँ)	गौजा बसन्तपुर खाता-2438 आवासीय पैतृक भवन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.1½ डी0 675 वर्ग फुट अनुमानित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित (वर्ग फुट में कुल माप)	01डी0.450 वर्ग फुट अनुमानित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की दशा में	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	पैतृक भवन	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	10 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	14 लाख 25 हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-
विवरण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)



विवरण

स्वयं

पति या पत्नी

आश्रित-1

आश्रित-2

आश्रित-3

46/5 21/1/2024

(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोधय बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	एस0बी0आई0 शाखा गुलजारबाग पटना से वाहन ऋण 802182.00 दिनांक 25. 03.14 तक	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोधय नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	कोई अन्य दायित्व	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	दायित्वों का कुल योग	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(ii)	सरकारी शोधय: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	टेलीफोन/ मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	आय-कर शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	धनकर शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	सेवाकर शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	नगरपालिका/ संपत्ति कर शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्रियकर शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	कोई अन्य शोधय	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधयों का कुल योग	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्धलित रकम और उस प्रधिकारी जिसके समक्ष यह ललित है का वर्णन करें।	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य



वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

स्वयं-कारस्तकारी एवं राजनीति
प्रति या पत्नी-गृहणी

4/15/2015

Handwritten signature in green ink.

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है-

मैट्रिक - बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, उर्तीण वर्ष 1982 विद्यालय
रामनन्दन उच्च विद्यालय रमैई, (अररिया)

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम
विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का
नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



रंजन कुमार वर्मा

रंजन कुमार वर्मा

भाग-ख

(11) भाग- क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उदाहरण

1	अभ्यर्थी का नाम	प्रदीप कुमार सिंह				
2	डाक का पता	ओम नगर, वार्ड नं०-08, अररिया, पो०+थाना+जिला - अररिया (बिहार) पिन नं० - 854311				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	09, अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय जनता पार्टी				
5	(I) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	02 (दो)				
	(II) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है(उपर मद (I) में उल्लेखित मामलों से भिन्न)	02 (दो)				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष काया उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	नहीं				
7		भारत सरकार का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	BDXPS5639A	2013-14	611150.00		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य X	शून्य X	शून्य X		
	(क) आश्रित	शून्य X	शून्य X	शून्य X		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-3	आश्रित-3
	कुल आस्तियां (कुल)	2257333.00	609146	X शून्य	X शून्य	X शून्य



प्रदीप कुमार सिंह

[Signature]

ख	स्थवर आस्तियां	1425000.00	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
I.	स्वअर्जित स्थवर संपत्ति की क्रय कीमत	12 हजार	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
II.	क्रय के पश्चात स्थवर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लगागत (यदित लागु हो)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कूल मूल्य)	4 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरसती आस्तियां (कूल मूल्य)	1025000.00रु0				
9	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	802182.00 रु0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य

11

उच्चतम शैक्षिक अहर्ता: मैट्रिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, उत्तीर्ण वर्ष 1982 विद्यालय रामनन्दन उच्च विद्यालय रमैई, (अररिया)

प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें



पति/पत्नी

Card



Notary Araria

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आरिष्ठ या दायित्व से भिन्न कोई आरिष्ठ या दायित्व नहीं है।

Authorised U/S 85 of the Indian Evidence Act (Act I of 1872) read with 8 (b) (e) of the Notaries Act (Act 15 of 1956)

of Smt. Pradeep Kumar Singh
आज तारीख 31/03/2014 को सत्यापित किया गया।
who is identified by Mr. S.K. Mishra
Advocate solemnly affirmed
and declare before me

S.K. Mishra
Advocate
31/3/14

46/9 31/3/14
अगिसाक्षी

Ranjan Kumar Verma
NOTARY PUBLIC
ARARIA (BIHAR)

- शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसॉर्सेस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असाफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।



46/9 31/3/14

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं..... 09013180185.....

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है..... X सुन्य.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... X सुन्य.....



सुन्य सुन्य सुन्य

RKVR
31/03/2014
RANJAN KR. VERMA
NOTARY
ARARIA BIHAR (INDIA)